कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता।

न्यायालय परिसर, मेड़ता।

Email : dlsa27merta@gmail.com
Phone : 01590-294039

क्रमांक : जि.वि.से.प्रा. / 2024 / 02
दिनांक : 13 मार्च, 2024

–: विज्ञप्ति :–

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय आदेश कमांक एफ–7(136) रालसा / संस्था / संविदा सेवा–वाहन / 2023 / 101 दिनांक 27.02.2024 व कार्यालय आदेश कमांक एफ–7(136)रालसा / संस्था–संविदा सेवा / 2021 / 129 दिनांक 12.03.2024 द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता, स्थाई लोक अदालत मेड़ता तथा अधीनस्थ ताल्लुका विधिक सेवा समितियों के लिये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों के लिये संविदा के आधार पर 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारीगण / विपरीत प्रतिनियुक्ति की सेवाऐं दिनांक 01.03.2024 से 28.02.2025 या उक्त पदों पर नियमित भर्ती होने तक (दोनो में से जो भी पहले हो) के लिये निम्नानुसार ली जानी है :–

क.सं.	कार्यालय	रिक्त पदों की संख्या
1.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेडता	04
2.	स्थाई लोक अदालत, मेड़ता	02
3.	ताल्लुका विधिक सेवा समिति नागौर	01
4.	ताल्लुका विधिक सेवा समिति परबतसर	01
5.	ताल्लुका विधिक सेवा समिति डीडवाना	01
6.	ताल्लुका विधिक सेवा समिति मकराना	01
7.	ताल्लुका विधिक सेवा समिति लाडनूं	01
8.	ताल्लुका विधिक सेवा समिति कुचामन	01
9.	ताल्लुका विधिक सेवा समिति जायल	01
10.	ताल्लुका विधिक सेवा समिति डेगाना	01
11.	ताल्लुका विधिक सेवा समिति नावां	01

शर्ते :–

01. उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि उक्त परिपत्र के संलग्न परिशिष्ठ–क के अनुसार होगी व मानदेय का भुगतान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
02. उपरोक्त पद पूर्णरूपेण अनुबन्ध पर सेवा के आधार पर होगें।
03. उपरोक्त पदों पर राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत 65 वर्ष से कम आयु के स्वस्थ व्यक्ति रिक्तियों की कनिष्ठतम वेतन श्रृंखला में अनुबन्ध के आधार पर आवेदन कर सकते है, न्यायिक कर्मचारी को प्राथमिकता दी जावेगी।
04. कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
05. केवल ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिन्होने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति पर सेवाए लेने हेतु विचार किया जायेगा। ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया था, के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
06. संविदा के आधार पर कर्मचारी की सेवाऐं दिनांक 01.03.2024 से 28.02.2025 तक के लिये अपेक्षित है, कार्मिकों की सेवा अवधि माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 28.02.2025 तक या नियमित भर्ती होने तक जो भी पहले हो तक लगाया जायेगा।
07. सेवा निवृत कर्मचारीगण अपने आवश्यक दस्तावेजात मय आवेदन–पत्र इस कार्यालय में दिनांक 18.03.2024 दोपहर 1.00 बजे तक आवेदन कर सकते है।

....02

Scanned with OKEN Scanner

08. उक्त पदों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।

इच्छुक सेवानिवृत्त/विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करेंगे। उक्त सेवाएं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता पर रिक्त पदों के अनुसार ली जायेगी।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तो पर सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनांक 18.03.2024 को दोपहर 1.00 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है:–

1. विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति
2. अन्तिम भुगतान प्रमाण पत्र (एलपीसी) की प्रति
3. पीपीओ की प्रति
4. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण –पत्र (प्रारूप संलग्न है)।

Vidyanand
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
मेड़ता।

क्रमांक : जि.वि.से.प्रा./2024/1439-1459 दिनांक : 13/03/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :–

01. श्रीमान सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
02. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश,मेड़ता
03. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
04. जिला कलक्टर, नागौर।
05. जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर
06. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, नागौर/परबतसर/डीडवाना/मकराना/डेगाना/नावां/कुचामन/जायल के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
07. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,नागौर।
08. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, नागौर
09. जिला शिक्षा अधिकरी, माध्यमिक, नागौर
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर
11. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, नागौर
12. जिला रोजगार कार्यालय, नागौर
13. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय मेड़ता को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

Vidyanand
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
मेड़ता।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता (राज0)

संविदा पुनर्नियुक्ति के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के लिये आवेदन- पत्र

आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम : ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. जन्म तिथि : ....
4. पता मय मोबाईल नम्बर : ....
   ....
5. आयु (दिनांक 28.02.2025) ....वर्ष..........माह..........दिन
6. शैक्षणिक एवं तकनीकी आहर्ताए : ....
7. मूल विभाग का नाम : ....
   ....
8. सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद : ....
9. अनुभव : ....
   ....
10. मूल वेतन : ....
    (रनिंग पे बैण्ड वेतन+ग्रेड पे)
    एलपीसी संलग्न करे
11. मूल पेंशन राशि : ....
    (पीपीओ की प्रति संलग्न करे।)
12. धारित पद का वेतनमान : ....
    (सेवानिवृत्ति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र : ....
    (संलग्न प्रारूप अनुसार)

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

सेवानिवृत्त कर्मचारी/विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को पुनर्नियुक्ति पर लगाने के लिये/सेवारत कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर लगाने के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये समस्त निर्बंधनो और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति/विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु राज्य सरकार में संविदात्मक प्रतिनियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिये इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारुप में बिन्दु सं. 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमती.. पुत्र/पत्नी श्री .... जो सेवानिवृत्ति से पूर्व .... पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किया जाता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती.. की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती.............................. रू0 ....मासिक मूल वेतन (रनिंग पे–बेण्ड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती .... अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया है/हो गयी है और श्री/श्रीमती .... के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

मय सील

Scanned with OKEN Scanner